इमेल एवं साधारण डाक से

पत्र संख्याः भू0भू0वि0जाँ0आ0/रा0एवंभू0सु0वि0– 08

बिहार सरकार
भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

प्रेषक,

अध्यक्ष,
भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग
निकट – संयुक्त संवर्ग, सामान्य प्रशासन विभाग
ग्राउंड फ्लोर, पुराना सचिवालय
पटना – 800015

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचलाधिकारी/सभी जिला मंत्री भूदान यज्ञ कमिटी

विषयः– **भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग को निर्धारित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

पटना, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–911(7), दिनांक 02.11.2017 के द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन किया है। जाँच आयोग के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व हैं:–

(क) भूदान यज्ञ समिति को दान रूप में दी गयी भूमि की वास्तविक स्थिति कि क्या जमीन वितरित हुई है अथवा नहीं और यदि वितरित नहीं हुई है तो वर्तमान में भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है? की जाँच करना;

(ख) दान पत्रों की सम्पुष्टि की स्थिति एवं सम्पुष्टि नहीं होने के कारणों की जाँच करना;

(ग) क्या भूदान भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में उल्लिखित प्रावधानों तथा इससे संबंधित विनियमों के अनुसार हुआ है? भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित भूमि पर प्रमाण पत्र धारकों का दखल कब्जा की स्थिति क्या है? की जाँच करना;

(घ) क्या भूमिहीन व्यक्तियों एवं अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा बिना संबंधित राजस्व पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये अपने स्तर से रद्द कर दिया गया है तथा ऐसी भूमि के पुनर्वितरण में स्थापित प्रावधानों का अनुसरण किया गया है? की जाँच करना;

(ड.) दानपत्रों की सम्पुष्टि कराये बिना भूदान यज्ञ समिति द्वारा सरकारी भूमि के वितरण तथा इससे उत्पन्न विवादों की स्थिति की जाँच करना;

(च) बिहार भूदान यज्ञ समिति को आगे कार्यरत रखने का औचित्य तथा समिति भंग किये जाने की स्थिति में भूदान में प्राप्त भूमि के रख–रखाव एवं विनियमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव;

उपर्युक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था की जायः–

1. भू–दाता का नाम एवं उनके द्वारा दान में दी गयी जमीन का विवरण –
(खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, मौजा, थाना सं0 एवं अंचल के साथ)

क्र0	जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	भू–दाता का नाम	उनके द्वारा दान में दी गयी जमीन का विवरण

1					
2					
3					
4					
5					

2. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सम्पुष्ट दान–पत्रों का विवरण:–
(खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, मौजा, थाना सं0 एवं अंचल के साथ)
3. असम्पुष्ट दान–पत्रों का विवरण –
(खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, मौजा, थाना सं0 एवं अंचल के साथ)

4. जमींदारी उन्मूलन/जमींदारी सरकार में Vest होने के पश्चात् कितनी गैर मजरूआ आम/खास, केसरे हिन्द एवं खास महाल भूमि भूतपूर्व मध्यवर्तियों द्वारा दान स्वरूप दिया गया। (विस्तृत विवरण के साथ) एवं उसकी सम्पुष्टि की स्थिति।

5. दान पत्रों की सम्पुष्टि कराये बिना भूदान यज्ञ समिति द्वारा सरकारी भूमि के वितरण एवं इससे उत्पन्न विवादों की स्थिति।

6. कितने मामलों में श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब अथवा आम रास्ता से संबंधित जमीन दान स्वरूप दिया गया एवं उसकी सम्पुष्टि की स्थिति।

7. **लाभार्थी का नाम, उन्हें वितरित जमीन का विवरण:–**

क्र0	लाभार्थी का नाम	उन्हें वितरित जमीन का विवरण					
		खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	मौजा/थाना सं0	अंचल

ग्राम सभा की कार्रवाई कितने मामलों में की गयी है, का विवरण।

8. अवितरित भूमि का विवरण – अवितरित रहने का कारण एवं अवितरित जमीन की स्थिति (status)

क्र0	अवितरित जमीन का विवरण							
	खाता	खेसरा	रकवा	मौजा/थाना संख्या	अंचल	जिला	अवितरित रहने का कारण	अवितरित जमीन का **status**

9. किन–किन मामलों में आवंटित भूमि का आवंटन बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा बिना संबंधित राजस्व पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये अपने स्तर से रद्द कर दिया गया है, की विवरणी।

10. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को कितने मामलों में वितरित भूमि का प्रमाण पत्र रद्द करने का प्रस्ताव भूदान यज्ञ समिति द्वारा भेजा गया एवं कितने मामलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा प्रमाण पत्र रद्द किया गया। प्रमाण पत्र रद्द किये जाने के पश्चात् जमीन वितरण की स्थिति।

11. सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी भूदान भूमि का अर्जन सरकार द्वारा किया गया है एवं प्राप्त मुआवजा राशि का भुगतान रैयतों को किया गया अथवा नहीं? (विस्तृत विवरण के साथ)

12. दाखिल खारिज के दायर वादों की स्थिति – अंचलवार। (विस्तृत विवरण के साथ)

13. विभिन्न न्यायालयों में भूदान भूमि से संबंधित दायर वादों की स्थिति/वादों में पारित आदेशों का स्वरूप एवं उसके कार्यान्वयन की स्थिति –

सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	राजस्व पर्षद	बिहार लैंड ट्रिबुनल
आयुक्त न्यायालय	समाहर्त्ता का न्यायालय	अपर समाहर्त्ता का न्यायालय	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय
अंचल अधिकारी का न्यायालय			

14. वितरित जमीन प्रमाण पत्र धारकों के दखल–कब्जा में है अथवा नहीं?
यदि वितरित जमीन प्रमाण पत्र धारक के दखल–कब्जा में नहीं है, उसकी वर्तमान स्थिति (status)।

15. भूदान भूमि के विवाद से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्रों का विवरण।

16. प्राप्त परिवाद पत्रों के आलोक में कृत्त कार्रवाई का विवरण।

17. प्रकाश में आये अन्य तथ्यों का उल्लेख।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन शीघ्र आयोग को उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

अशोक कुमार चौधरी

(अशोक कुमार चौधरी) 11/10/2018

अध्यक्ष, भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग